पत्र संख्या : 7ब/4702 यो०ज०सं०–01/16 288
झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

सुखदेव सिंह,
प्रधान सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 28-02-17

विषय :– मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–18–चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50P470200796180545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4702–लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1.	50– जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) / 4702– लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना /18 – चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड 50P470200796180545	**1000.00**

अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ दस करोड़ मात्र।

---

2. आवंटित राशि वर्ष 2016–17 के संशोधित बजट उपबंध **रू० 21000.00 लाख (दो सौ दस करोड़) मात्र** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003, 1363 दि० 09.05.2016 तथा 2747(वि०), दिनांक–19.09.16 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्त्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत एवं परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

9. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2017 तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट–1 के स्तंभ–11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

Sukhdev 28/2

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 280 रॉची, दिनांक :– 28-02-17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो०– **हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/गुमला** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

Sukhdev 28/2

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 280 रॉंची, दिनांक :– 28-02-17

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(ओंकार नाथ)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	**(सुखदेव सिंह)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	**प्रधान सचिव**

पत्रांक – 280 /राँची, दिनांक – 28-02-17 परिशिष्ट – 1

मॉग संख्या–50–जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)
मुख्य शीर्ष – 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
लघु शीर्ष –796–जन जातीय क्षेत्रीय उपयोजना,
उपशीर्ष – 18–चालू लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण
विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड–50P470200796180545
संशोधित बजट उपबंध (वर्ष 2016–17) रू० 21000.00 लाख (दो सौ दस करोड़) मात्र।

(राशि लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति का राशि	मार्च 2016 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटन	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला (GMLIRR006)	गुमला	रायडीह	कुदारी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।	36/26.11.15	304.071	108.790	4720.00	1000.00	5720.00	98023	
2			रायडीह	काशीर नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		201.445						
3			घाघरा	बरका नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		223.141	0.00					
4			घाघरा	आरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		280.790	0.00					
5			घाघरा	काराझारिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		254.860	0.00					
6			घाघरा	रूकी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		156.876	0.00					
7			जारी	विचरा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		352.430	0.00					
8			जारी	वितरी नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।		39.270	0.00					
9			जारी	छोटाकोंक नाला पर पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		217.170	0.00					
10			जारी	बड़काडीह नाला पर पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		128.660	0.00					
11			जारी	नौगाढ़ोढ़ा नाला पर एकल चेक डैम निर्माण		47.500	0.00					
12			चैनपुर	नकटी नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।		87.620	88.140					
13			चैनपुर	जिरमी नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।		77.600						
14			चैनपुर	किसरा नाला पर पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		308.880						
15			डुमरी	पुटुधोवा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		207.370	50.390					
16			डुमरी	बाँधपेन नाला पर पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		122.620						
17			बसीया	नावाटोली नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		336.392	0.000					
18			बसीया	धनसारा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		221.590	0.000					

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह)
प्रधान सचिव

(राशि लाख में)

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	प्रशासनिक स्वीकृति का राशि	मार्च 2016 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन: पूर्व का आवंटन	वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन: वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2016–17 में आवंटन: कुल आवंटन	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19			गुमला	पारो नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।	36/26.11.15	313.007	107.630				98023	
20			गुमला	गुंगी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		231.345						
21	लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला (GMLIRR006)	गुमला	गुमला	कुटासी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		218.899	144.020					
22			गुमला	कुतुवा नाला पर एकल चेक डैम निर्माण		45.140						
23			गुमला	चुहरूकिता नाला पर पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		122.674						
24			पालकोट	भरनी नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		205.373	0.000					
25			पालकोट	कोलेंग नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		236.993	0.000					
26			कामडारा	कोनसा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		280.425	0.000					
27			सिसई	पोटपोटा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		320.280	66.610					
28			सिसई	चट्टानटोली नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।		47.460	25.850					
29			सिसई	संभु नाला पर एकल चेकडैम निर्माण।		53.051	26.000					
30			भरनो	बुढ़ीपाट नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		147.760	54.000					
31			विशुनपुर	हारूप नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		219.326	0.000					
32			विशुनपुर	करचा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		119.164	0.000					
33			विशुनपुर	घाघरा नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेकडैम निर्माण।		256.716	0.000					
34			घाघरा	बरकी नाला पर चेक डैम निर्माण		64.774	58.030					
35			घाघरा	सतीघाट नाला पर चेक डैम निर्माण		64.032						
36			घाघरा	दोदका नाला पर एकल चेक डैम निर्माण		74.126						
37			घाघरा	जोबानाला नाला पर एकल चेक डैम निर्माण		86.285						
38			पालकोट	झिकिरमा नाला पर पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		193.623	0.000					
39			रायडीह	डुमरटोली नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		102.797	105.690					
40			रायडीह	भेलवाडीह नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		270.120						
41			रायडीह	गिंजरटाँड नाला पर एकल चेक डैम निर्माण		55.212						
42			रायडीह	मंझाटोली नाला पर एकल चेक डैम निर्माण		54.057						
43			सिसई	अरिया नाला पर श्रृंखलाबद्ध चेक डैम निर्माण		381.863	15.980					
							योग	**4720.00**	**1000.00**	**5720.00**		

अतिरिक्त अतिरिक्त आवंटित राशि – ₹ दस करोड़ मात्र।

(ओंकार नाथ)
सहायक अभियंता

280
28-02-17

(मुक्ति साधना चौरसिया)
उप सचिव (अभि०)

(सुखदेव सिंह) 1/3/17
प्रधान सचिव